सप्तदश

बिहार विधान सभा

पंचम सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-4

वृहस्पतिवार, तिथि 12 फाल्गुन, 1943 (श०)
03 मार्च, 2022 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 06

(1)	कृषि विभाग	04
(2)	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	01
(3)	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	01
	कुल योग --	06

क्रेडिट कार्ड का वितरण

15. श्री अख्तरूल ईमान (क्षेत्र संख्या-56 अमौर)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 11 जनवरी, 2022 के अंक में छपी खबर के शीर्षक "कृषि क्षेत्र में लोन (Loan) देने से अब भी कतरा रहे हैं बैंक" के आलोक में क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में चालू वित्तीय वर्ष में 8.75 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके विरुद्ध मात्र 87.8 हजार ही नये किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किये गये है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य में किसान क्रेडिट कार्ड के वितरण में शिथिलता के कारण राज्य के किसानों को सरकार के योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य में लक्ष्य के अनुरूप किसान क्रेडिट कार्ड के वितरण के लिये कौन-सी कार्रवाई कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

खाद्य की आपूर्ति

16. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 11 जनवरी, 2022 के अंक में छपी खबर के शीर्षक "बिहार को पूरा नहीं मिला यूरिया का कोटा, केन्द्र ने 26 प्रतिशत कम की आपूर्ति" के आलोक में क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को यूरिया खाद्य की आपूर्ति माँग से 26 प्रतिशत कम की गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि माँग से कम यूरिया खाद्य की आपूर्ति के कारण राज्य के किसानों को खेती के लिये समुचित मात्रा में खाद्य नहीं मिल रही है, जिसके कारण उनमें काफी असंतोष एवं आक्रोश है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य के किसानों को पर्याप्त यूरिया खाद्य की आपूर्ति करने हेतु कौन-सी कार्रवाई कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नियुक्ति-पत्र जारी करना

17. श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 18 नवम्बर, 2021 के अंक में प्रकाशित शीर्षक "कॉम्फेड में 142 पदों पर बहाली मंत्री और सचिव के बीच फंसी" शीर्षक को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2013 में बिहार राज्य कॉपरेटिव फेडरेशन (कॉम्फेड) ने लेखा सहायक, विपणन सहायक, पणन सहायक और कनीय तकनीशियन की नियुक्ति हेतु 142 पदों की स्वीकृति दी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सितम्बर, 2020 ई० में प्रकाशित विज्ञापन संख्या 2639, के आधार पर 142 चयनित अभ्यर्थियों का अंतिम परिणाम 26 जून, 2021 को ही जारी किया गया था, परन्तु चयनित अभ्यर्थियों को अभीतक नियुक्ति-पत्र निर्गत नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार चयनित अभ्यर्थियों को कबतक नियुक्ति-पत्र जारी कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि कॉम्फेड द्वारा वर्ष 2013 में नहीं, बल्कि वर्ष 2020 में विज्ञापन संख्या 2639, दिनांक 11 सितम्बर, 2020 द्वारा 142 पदों यथा लेखा सहायक, विपणन सहायक एवं पपण सहायक तथा विज्ञापन संख्या 2769, दिनांक 24 सितम्बर, 2020 द्वारा 39 पदों यथा कनीय तकनीशियन के नियुक्ति हेतु कुल 181 रिक्त पदों पर विज्ञापन प्रकाशित करायी गयी थी ।

(2) विज्ञापन संख्या 2639, दिनांक 11 सितम्बर, 2020 द्वारा लेखा सहायक, विपणन सहायक तथा पपण सहायक के विज्ञाप्ति 142 पदों के विरुद्ध शॉटलिस्टेड अभ्यर्थियों की सूची दिनांक 25 जून, 2021 को कॉम्फेड के बेवसाईट पर अपलोड की गयी है, नियुक्ति-पत्र शीघ्र जारी करने की कार्रवाई की जा रही है ।

(3) कॉम्फेड के निदेशक पर्षद की दिनांक 12 फरवरी, 2022 को सम्पन्न 100वीं बैठक में नियुक्ति की आगे की प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है । कॉम्फेड द्वारा अवगत कराया गया है कि नियुक्ति प्रक्रिया प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करते हुये नियुक्ति-पत्र जारी करने की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ कर दी जायेगी ।

औचित्य बतलाना

18. डॉ0 रामानुज प्रसाद (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 17 जनवरी, 2022 को प्रकाशित शीर्षक "राज्य में पनप रहा नकली खाद्य का कारोबार" के आलोक में क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में उर्वरक की माँग के अनुरूप आपूर्ति नहीं होने से नकली उर्वरक का कारोबार पनपने लगा है, जिसकी बानगी रासायनिक खाद्य, कार्बनिक खाद्य एवं जैविक खाद्य के क्रमशः 2620, 69 एवं 62 नमूनों की जाँचोपरान्त 72, 26 एवं 25 नमूने मानक पर फेल पाये गये हैं, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

राशि उपलब्ध कराना

19. श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 5 फरवरी, 2022 के अंक में प्रकाशित शीर्षक "कृषि इनपुट के साढ़े तीन लाख किसान की फाइलें मुख्यालय में अटकी" समाचार को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में खरीफ सीजन 2021-22 के कृषि इनपुट अनुदान के लिये 30 जिलों के 22,27,028 किसानों ने आवेदन किया था लेकिन अबतक 8,62,592 किसानों के ही बैंक खाता में अनुदान राशि पहुँच सकी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के खरीफ सीजन 2021-22 के कृषि इनपुट अनुदान के लिये आवेदित शेष 13,64,436 मामलों में अनुदान अबतक नहीं मिलने से मायूसी है, जबकि राज्य सरकार किसानों को विभिन्न योजनाओं का समय से लाभ देने के लिये प्रतिबद्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक शेष किसानों के खाते में अनुदान की राशि उपलब्ध कराने का विचार रखती है ?

कार्रवाई करना

20. श्री ललित कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-82 दरभंगा ग्रामीण)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 11 दिसम्बर, 2021 को प्रकाशित शीर्षक "प्रदेश में गरीबों का अनाज खा रहे अफसर" के आलोक में क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा, मुजफ्फरपुर, लखीसराय, बक्सर, भागलपुर सहित राज्य के अन्य जिलों के 8 करोड़ 60 लाख गरीबों को मिलने वाली सरकारी अनाज, जन-वितरण प्रणाली दुकानदारों एवं जिला आपूर्ति अधिकारियों, प्रखंड आपूर्ति अधिकारियों एवं आपूर्ति निरीक्षक की मिलीभगत से कम आपूर्ति की जाती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक । खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना द्वारा डोर स्टेप डिलेवरी योजना क्रियान्वित की जा रही है, जिसके माध्यम से खाद्यान्न का परिवहन लोड सेल एवं जी0पी0एस0 युक्त वाहनों से कराये जाने की व्यवस्था की गयी है । जी0पी0एस0 यंत्र में "लोड सेल" लगाने से सही समय पर वाहनों की Tracking, Unsheduled stoppage alarm, Over speed tamper alarm, GPS antenna Tamper alarm, Ignition on/off alarm, Weight reduction alarm के संबंध में सूचना प्राप्त करने की व्यवस्था की गयी है ।

भारतीय खाद्य निगम या राज्य खाद्य निगम में खाद्यान्न उठाव हेतु प्रतिनियुक्त उठाव प्रभारी परिवहन अधिकर्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये ट्रकों में जी0पी0एस0 एवं लोड सेल लगे होने पर ही खाद्यान्न की लदाई सुनिश्चित करने का दायित्व सौंप गया है ।

भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से खाद्यान्न से लदे ट्रकों का परिवहन प्रारंभ होते ही निगम द्वारा इसकी ट्रैकिंग प्रारंभ कर दी जाती है एवं किसी प्रकार की समस्या होने पर जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, जिला आपूर्ति पदाधिकारी तथा अनुमंडल पदाधिकारी को निगम द्वारा चयनित संस्था द्वारा तत्काल सूचना उपलब्ध करायी जाती है ।

प्रत्येक कार्यरत प्रखंड गोदाम में इलेक्ट्रॉनिक वेईंग मशीन की व्यवस्था की गई है । विभाग द्वारा Supply Chain Managment System व्यवस्था लागू की गयी है, जिसके अन्तर्गत जन-वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा PoS यंत्र पर बॉयोमेट्रिक सत्यापन के द्वारा समुचित मात्रा में अनाज प्राप्त किया जाता है एवं प्रत्येक जन प्रणाली विक्रेता द्वारा प्राप्त किये गये खाद्यान्न की मात्रा, वितरण की मात्रा एवं अवशेष भंडार की सूचना ऑनलाइन पब्लिक पोर्टल पर Real Time में उपलब्ध रहती है ।

इस प्रकार अद्यतन तकनीकी नवाचारों के प्रयोग से प्रत्येक चरण में अनाज की तौल सुनिश्चित की जा रही है ।

पटना :
दिनांक 3 मार्च, 2022 (ई0) ।

शैलेंद्र सिंह,
सचिव,
बिहार विधान सभा ।